न्यायालय,समाहर्त्ता,अररिया

अधिहरण वाद संख्या-443/2020

अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार

बनाम

(1) अबु नसर, पे0-मोती, सा0-मिर्जाभाग, वार्ड नं0-03
थाना+जिला-अररिया

(2) अफसार आलम, पिता-वजहुल,
सा0-तुरकैली, गैरकी, थाना-जोकीहाट, जिला-अररिया
(मोटर साईकिल पंजीयन संख्या-BR11R-7725
चैचीस संख्या-ME145S0B6D2011306,
इंजन नंबर-45SB011364 के मालिक) ....विपक्षीगण

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
10.04.2021		

इस वाद की कार्यवाही अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (ज्ञाप सं0-281/उ0, दिनांक-20.03.2020) के आलोक में निरीक्षक मद्यनिषेध, सदर अंचल द्वारा दर्ज थाना कांड संख्या-12/2020, दिनांक-17.03.2020, धारा-30(क)/32(3) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद(संशोधन) अधिनियम, 2018 में जब्त मोटर साईकिल पंजीयन संख्या-BR11R-7725, चैचीस संख्या-ME145S0B6D2011306, इंजन नबर-45SB011364 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58 के अंतर्गत राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। विपक्षियों को कारण-पृच्छा जवाब दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गई। सूचना का तामिला प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध है। विपक्षी वाहन मालिक को हर्जाना मो0 50 रू0 अधिरोपित करते हुए अंतिम मौका भी दिया जा चुका है। बावजूद विपक्षीगण की ओर से कोई समुचित पैरवी नहीं है। स्पष्ट है कि विपक्षीगण को इस वाद में कोई रूचि नहीं है।

(2) विपक्षियों की अनुपस्थिति में सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया श्री रामानंद मंडल को सुना। पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (ज्ञाप सं0-281/उ0, दिनांक-20.03.2020) तथा सलग्न अन्य कागजातों का अवलोकन किया।

(3) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया का मुख्य कथन है कि निरीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को दिनांक 16.03.2020 को लगभग 06.00 बजे गुप्त सूचना मिली कि अररिया जिरो माईल के पास जोकीहाट की ओर से जाने वाली रास्ते में मिलया कॉलेज के सामने कदम पेड़ के समीप चाय-पान की दूकान व उसके आस-पास अबु नसर, पे0-मोती, सा0-मिर्जाभाग, वार्ड नं0-03, थाना+जिला-अररिया नामक व्यक्ति लाल रंग की फेजर यामाहा निबंधन संख्या-BR11R-7725 से घुम-घुम कर प्रतिबंधित कोडिनयुक्त कफ सिरफ बेचता है। निरीक्षक, मद्यनिषेध, अररिया अपने साथ मद्यनिषेध सिपाही तथा सशस्त्र बल व गृह रक्षा दल के साथ छापामारी दल तैयार किया, तत्पश्चात विभागीय वाहन पर सवार होकर उत्पाद विभाग, अररिया से प्रस्थान किया। करीब 7.20 बजे सूचना में उल्लिखित स्थान पर पहुँचा। छापामारी दल को पहुँचते ही उपर्युक्त उल्लेखित लाल रंग की गाड़ी, जिसपर एक व्यक्ति सवार था, वही खड़ी थी। पुलिस को देखते ही वह हड़बड़ाहट मे गाड़ा स्टार्ट कर भागने का प्रयास किया। लड़खड़ाते हुए वह कुछ दुर जाकर गाड़ी गिराकर अंधेरे में सड़क के किनारे खेत में भागने में सफल रहा। छापामारी दल भी उसे खदेड़ते हुए वाहन तक पहुँचा। घटनास्थल पर कुछ भीड़ एकत्रित हो गई। दो स्थानीय स्वतंत्र गवाह-1. मो0 शमशाद, पे0-मो0 समीम, सा0-मजगामा, वार्ड नं0-03, थाना+जिला-अररिया, एवं 2. मन्नान, पे0-तब्जाबुल, सा0-सिसौना, वार्ड नं0-01, थाना+जिला अररिया के समक्ष वाहन की विधिवत् तलाशी ली गई। वाहन के हैंडल में एक प्लास्टिक के थैला से कुल-32 बोतल ईसकफ कोडिन युक्त कफ

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
10.04.2021	सिरफ प्रत्येक बोतल 100 मिली लीटर कुल-32X100=3.200 लीटर बरामद हुआ। अधिसूचना संख्या-11/अधि.कार्या.01-06/2016/4027, दिनांक-18.10.2016 के अनुसार बिहार राज्य सरकार Codein/ Dextropropoxyphene औषधीय घटक वाले दवाओं अथवा औषधीय निर्मित को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के प्रयोजनार्थ "मादक द्रव्य" (Intoxicants)" अधिसूचित है। बरामद कफ सिरप एवं मोटर साईकिल को विधिवत् जब्त विपक्षी के विरूद्ध सदर अंचल कांड संख्या-12/2020,दिनांक-17.03.2020,, धारा-30(क)/32(3) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 दर्ज किया गया। विपक्षी द्वारा जब्त मोटर साईकिल का उपयोग भारी मात्रा में अवैध मादक द्रव्य को ढ़ोने में किया गया है। उनकी प्रार्थना है कि जब्त मोटर साईकिल को राजसात किया जाय। (4) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम अधिवक्ता के कथनों एवं तर्को पर सम्यक् विचार तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (ज्ञाप सं0-281/उ0, दिनांक-20.03.2020) तथा संलग्न अन्य कागजातों के अवलोकन से इस न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि निरीक्षक मद्यनिषेध, सदर अंचल द्वारा दर्ज कांड संख्या-12/2020, दिनांक-17.03.2020, धारा-30(क)/32(3) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम (संशोधन), 2018 में बरामद मादक द्रव्य एवं मोटर साईकिल को निरीक्षक मद्यनिषेध, अररिया द्वारा विधिवत् जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया है। जब्त मोटर साईकिल का उपयोग कुल-3.200 लीटर कोडिनयुक्त कफ सिरप, जो मादक द्रव्य (Intoxicating drug) है, को बिना किसी वैध कागजात के व्यावसायिक उद्देश्य से ढोने में किया गया है। जब्त कफ सिरप एवं मोटर साईकिल का कोई दावेदार नहीं है। जब्त मोटर साईकिल को विमुक्त किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-56(ख) के अंतर्गत जब्त मोटर साईकिल राजसात होने योग्य है। तदनुसार सदर अंचल कांड संख्या-12/2020, दिनांक-17.03.2020, धारा-30(क)/32(3) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद(संशोधन) अधिनियम, 2018 में जब्त **मोटर साईकिल पंजीयन संख्या-BR11R-7725, चैचीस संख्या-ME145S0B6D2011306, ईंजन नंबर-45SB011364 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58(2) के अंतर्गत राजसात (Confiscate) किया जाता है।** अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को निदेश दिया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित अधिनियम, 2018) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया को प्रेषित करें।	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
10.04.2021	विपक्षी (वाहन मालिक) यदि चाहें तो उक्त आदेश के विरूद्ध बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-92(2) के अंतर्गत उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में पारित आदेश के 90 दिनों के भीतर अपील दाखिल कर सकते हैं। उक्त आदेश/निदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित समाहर्त्ता, अररिया 10/04 समाहर्त्ता, अररिया ज्ञापांक 1176/विधि, अररिया, दिनांक 22.4.2021 प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। न्यायालय, जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता * अररिया (बिहार) * 10/04 समाहर्त्ता, अररिया	